

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 07 / 2017


दिनांक: 31/10/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 210/50/1 ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल विश्वनाथ पुत्र विश्वनाथ जाति विश्वनाथ साकिन 210/1/25/1 ने चक 7.B.H.M. के मु0नं0 45 कि0नं0 1.17.25 रकबा 2.57.0 वीघा राजकीय भूमि पर नाजायज कारस्त कर अतिक्रमण किया है।

सम्बंधित गैर सायल का राभू.रा.अधि. 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बंधित गैर सायल विश्वनाथ पुत्र श्री विश्वनाथ जाति विश्वनाथ साकिन 210/1/25/1 चक 7.B.H.M. मु0 नं0 45 के कि0नं0 1.17.25 रकबा 2.57.0 वीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 5.2.42 का 50 गुणा रूपये 250/- शारित से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2017 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।


तहसीलदार(राजस्व)
तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर
लूनकरनसर